न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 126 / 2026

विजेन्द्र सिंह पता – वार्ड नम्बर 20 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू मो.न. 7006923314

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 126 / 2026 पर दिनांक 16.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 747–748 दिनांक 17.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी ने पत्रांक न्याय / सू.अ.अ.(47) / 2026 / 176 दिनांक 01.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत ऑनलाईन आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 14.03.2026 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना कर्यालय नगरपालिका खेतड़ी से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक पी.ए. / सू.अ.अ.(40) / 2026 / 139 दिनांक 16.03.2026 द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेतड़ी को अन्तरित कर दिया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत ऑनलाईन आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 14.03.2026 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना कर्यालय नगरपालिका खेतड़ी से सम्बन्धित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक पी.ए. / सू.अ.अ.(40) / 2026 / 139 दिनांक 16.03.2026 द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेतड़ी को अन्तरित कर दिया था। अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित समय में अन्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलक्टर, झुंझुनू